ग्राम पंचायत दरिणी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दरिणी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति शमा महाजन	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अविनेश कुमार	01-04-22 से 28-09-23
2.	श्री विशाल ठकियाल	29-09-23 से 31-03-24

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

ग्राम पंचायत दरिणी के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	24.91
2.	6	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.38
3.	10	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि एवं अंकेक्षणावधि में लाखों के अनियमित भुगतान	0.41
4.	11	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	1.36
5.	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.63
6.	13	क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा अधिक मात्रा की ढुलाई के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना	0.04
7.	16	मजदूरी के दोहरे भुगतान के फलस्वरूप अनियमित भुगतान करना	0.04
8.	17	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु उपयोग सामग्री की अपेक्षा क्रय मात्रा के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.06

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दरिणी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ

लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 10-07-2024 से दिनांक 19-07-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, दरिणी में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	08/22
2023-24	12/23	05/23

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत दरिणी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 335 दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दरिणी से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत दरिणी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत दरिणी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	527327.38	100885.32	628212.7	369786.38	258426.32
2023-24	258426.32	16685.00	275111.32	122909.74	152201.58

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत दरिणी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	3047287.30	4614512.54	7661799.84	4002914.70	3658885.14
2023-24	3658885.14	2792991.00	6451876.14	3961073.10	2490803.04

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General	PNB DARINI	98000102118536	52550.58
2.	General	KCCB RAIT	20040016504	146687.00
3.	SK RELIEF/MPLAD	PNB DARINI	98000102126128	2390.85
4.	14TH FC	PNB DARINI	98000102126173	0.00
5.	SDP/VKVNY	PNB DARINI	98000102119377	160630.84
6.	15TH FC	PNB DARINI	98000102152433	2123636.00
7.	5TH FC	PNB DARINI	98000102126164	150198.35
8.		हस्तगत रोकड़		6911.00
		कुल योग		**2643004.62**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2643004.62
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	2643004.62
अंतर	**0.00**

4.2 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत SK RELIEF/MPLAD व SDP/VKVNY स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध SK RELIEF/MPLAD स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, पंजाब नेशनल बैंक दरिणी में खाता संख्या 98000102126128 व SDP/VKVNY स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, पंजाब नेशनल बैंक दरिणी में खाता संख्या 98000102119377 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी |

अत: इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण कारण स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जाए |

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹24.91 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधानऔरभत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹2490803.04 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 333(1) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दरिणी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में तथ्य पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.38 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण पर पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण व सही पता नहीं लगाया जा सका। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹37650 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर**	**आरम्भिक शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2022-23	555	50	2550	27750	30300	13600	16700
2023-24	569	50	16700	28450	45150	7500	37650

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 333(2) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त

पत्र के दिशा-निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1.	कमलेश कुमारी	.... 5333... 04.11.2023 से 15.11.2023	भू सरंक्षण डंगा पक्का व नाली पूर्ण चंद व् दुनी चंद	10.11.2023	10.11.2023	500	240
2.	सुमना कुमारी	.... 7499... 06.02.2024 से 15.02.2024	निर्माण पक्का डंगा धर्म चंद के घर के पास हाथोड वार्ड न० 1	09.02.2024	09.02.2024	500	240
3.	राजेश कुमार	.. 6889... 18.01.2024 से 31.01.2024	निर्माणभूमि रोकथाम डंगा किशोरी लाल पुत्र जागो राम घर के पास	23.01.2024	23.01.2024	500	224
4.	चैन सिंह	.....3667... 18.08.2023 से 31.08.2023	निर्माणपक्की नाली सुरेश की जमीन वार्ड न० 06	22.08.2023	22.08.2023	500	224
5.	कमलेश कुमारी	....58170... 05.12.2023 से 15.12.2023	निर्माण नाली GSS दरिणी से जगदीश घर	08.12.2023	08.12.2023	500	222

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 333(3) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कारवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2400
2	2023-24	3400
कुल योग		**5800**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 333(4) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस मामले को सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

9. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार सचिव द्वारा केवल एक हज़ार तक की राशि ही इस्प्रेस्ट/अग्रदाय के रूप में रखी जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ₹6911.00 की राशि को हस्तगत रूप में रखा गया था, जोकि उपरोक्त नियम के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 333(5) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया था, से अवगत करवाते हुये भविष्य में उपरोक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

10. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.41 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिबार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा । परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-General/2023-1/2024192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.23 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों /विक्रेताओं

(Contractors/vendors) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रायल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "W" या "X" जमा करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जान अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**40609/-** का अनियमित भुगतान एवं वैध ट्रांजिट पास के अभाव में अंकेक्षणावधि के दौरान खनन सामग्री हेतु कृत समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है:-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि (₹)**
रेत	22.09	1.62	35.79	80	2863
बजरी	24.64	1.52	37.45	80	2996
पत्थर	36.19	2.24	81.07	80	6486
रेत	52.25	1.62	84.65	80	6771
बजरी	85.10	1.52	129.35	80	10348
पत्थर	16.87	2.24	37.79	80	3023
कुल योग					**32487**
पेनल्टी 25%					**8122**
कुल योग					**40609/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(1) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 09.02.2024द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना

नहीं की जा सकी, प्रस्तुत उतर नियमों के विरुद्ध एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः नियम प्रावधानों एवं समय-2 पर जारी विभागीय निर्देशों के विपरीत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से निर्धारित वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित किये बिना खनन सामग्री के बिल/वाउचरों के समस्त अनियमित भुगतानों को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अथवा अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त भुगतानों के पूर्ण विवरण सहित उन्हें सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त अनियमित भुगतानों की विभागीय स्तर पर विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति अनुसार उनकी वसूली उचित स्रोत से कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. क्रय किये गये सामान राशि ₹1.36 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹136105/-** के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	भुगतान की तिथि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	बिल की राशि (₹)
1.	**196**, दिनांक 18.09.21	17.05.2022	मै. शर्मा बिल्डिंग मटीयरल	Bricks	400 nos	20000
2.	**184**, दिनांक 18.09.21	17.05.2022	मै. शर्मा बिल्डिंग मटीयरल	Cut Stone	809 nos	20225
3.	**14262**, दिनांक 14.12.21	17.05.2022	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	48 बैग	16450
4.	**2518**, दिनांक 31.07.21	19.05.2022	मै. मदन फ्रूट नरसरी	Plants	--	26500
5.	वाउचर 32दिनांक 12.07.23	---	M/S Pankaj Dhiman manufacturing PVC & Aluminium	Aluminium door Aluminium Window	2 Nos each	50000
6.	वाउचर 32 दिनांक 12.07.23	---	मै. गृहएश्वरी प्रिंटिंग प्रैस	स्टेशनरी	---	2930
			कुल योग			**136105/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(5) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख न रखने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.63 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ANNUAL REPORT

व्यय वाउचरों के नमूना जाँच के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹263289/-** के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	निधि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	बिल की राशि (₹)
1.	**P/26**, दिनांक 04.08.22	15TH FC	मै. सुमन ट्रेडर	Water Tank	-	8792
2.	**P/28**, दिनांक 04.08.22	15TH FC	मै. रजत ट्रेडर	सरिया	8mm – 108.40 kg 10mm- 15.20 kg	9139
3.	**P/29**, दिनांक 04.08.22	15TH FC	मै. सुमन ट्रेडर	दरवाजे	2 nos	8200
4.	**P/30**, दिनांक 04.08.22	15TH FC	मै. सुमन ट्रेडर	Floor Tile Wall Tile	5 box each	3300

5.	**P/31**, दिनांक 04.08.22	15TH FC	मै. सुमन ट्रेडर	Sanitary Equipment	--	11935
6.	**16**, दिनांक 10.08.22	सभा निधि	मै. सुमन ट्रेडर	दरवाजे, खिड़कीके पल्ले इत्यादि	--	21600
7.	25, दिनांक 25.08.22	सभा निधि	मै. मनु मार्बल	टाइल्स	43 box	38149
8.	26, दिनांक 25.08.22	सभा निधि	मै. मनु मार्बल	केमिकल	30 बोरी	9000
9.	**P/17**, दिनांक 20.05.23	15TH FC	मै. सुमन ट्रेडर	oo	29.70 kg	3564
10.	**P/18**, दिनांक 20.05.23	15TH FC	मै. विनोद कुमार	**खच्चर द्वारा ढुलाई**	---	10000
11.	**P/11**, दिनांक 10.05.23	15TH FC	मै. रजत ट्रेडर	सरिया	10mm- 60 kg	4201
12.	**P/11**, दिनांक 10.05.23	15TH FC	मै. रजत ट्रेडर	एंगल, जी.आई. पाइपइत्यादि	---	65000
13.	**P/14**, दिनांक 10.05.23	15TH FC	मै. रजत ट्रेडर	एंगल, जी.आई. पाइप, वाटर टैंक	---	18000
14.	08, दिनांक 10.05.23	15TH FC	मै. रजत ट्रेडर	सरिया	8mm- 91.30 kg	6300
15.	11, दिनांक 10.05.23	SDP	मै. . सुमन ट्रेडर	खिड़की के पल्ले	---	9429
16.	12, दिनांक 10.05.23	SDP	मै. . सुमन ट्रेडर	Floor Tile	48 box	24480
17.	13, दिनांक 10.05.23	SDP	मै. . सुमन ट्रेडर	Asian Paints, Emulsion etc.	---	6460

18.	**14**, दिनांक 10.05.23	SDP	मै. ठाणु राम	**खच्चर द्वारा ढुलाई**	---	5740
कुलयोग						**263289/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(4) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण सामग्री की ढुलाई के रूप में आपूर्तिकर्ता को ₹3600 का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

वाउचर संख्या 73 दिनांक 06.01.2023, शीर्ष (VKVNY) के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य लिंक रोड गांब हथोड़ के लिए निर्माण सामग्री रेत व बजरी की ढुलाई के लिए मै. सुमन ट्रेडर को भुगतान किया गया था परन्तु उक्त कार्य के लिए निर्माण सामग्री का क्रय ढुलाई किये गए बिल की मात्रा से कम था जो कि अनुचित व संदिगध प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण सामग्री का नाम	निर्माण सामग्री की ढुलाई की मात्र	दर	भुगतान	निर्माण कार्य के लिए क्रय की गई सामग्री की मात्रा	दर	क्रय की गई सामग्री की मात्रा के अनुसार ढुलाई की भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	रेत व बजरी	2760 CFT	06	16560	(620 CFT +1540 CFT) = 2160 CFT	06	12960	3600
कुल योग								**3600**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(6) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उपरोक्त अनियमित भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

14. 15 वें वित्तायोग के मस्ट्रोल की गणना में त्रुटि होने के कारण ₹396 का अधिक भुगतान:-

15th वित्तायोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या P/36 दिनांक 09.08.2022 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य पानी की निकासी नाली व डंगा दुन्नी चंद शर्मा की जमीन के लिए मस्ट्रोल संख्या 11287 अवधि 01.06.2022 से 30.06.2022 के अनुसार मस्ट्रोल में उपस्थित आवेदकों को मजदूरी का भुगतान किया गया था परन्तु

आवेदक श्री कर्म चंद सपुत्र श्री जगत राम को उनकी कुल वास्तविक उपस्थिति से अधिक भुगतान किया गया था जिसके कारण **₹396** का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि नियमानुसार वित्तीय अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**आवेदक का नाम**	**मस्ट्रोल संख्या /दिनांक**	**निधि शीर्ष**	**मस्ट्रोल के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)**	**वास्तविक उपस्थिति के अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)**	**अन्तर की राशि (₹)**
1	श्री कर्म चंद सपुत्र श्री जगत राम	11287 अवधि 01.06.2022 से 30.06.2022	15th FC	(12 दिन x 396 मजदूरी दर) = 4752	(11 दिन x 396 मजदूरी दर) = 4356	396
कुल योग						**396/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(8) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त अनियमित व अधिक भुगतान की वसूली करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. गणना में त्रुटि होने के कारण ₹100 का अधिक भुगतान आपूर्तिकर्ता को करने बारेः-

15th वित्तायोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या P/31 दिनांक 04.08.2022 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य C/O Toilet Patwar Ghar darini के लिए बिल संख्या 12 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार मै. सुमन ट्रेडर से निर्माण सामग्री (Sanitary Equipment) का क्रय किया गया था जिसके एवज में आपूर्तिकर्ता को ₹11935 का भुगतान किया गया था परन्तु बिल की गणना करने पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को

भुगतान योग्य राशि ₹11835 बनती थी, जिसके परिणामफलस्वरूप ₹100 का अधिक भुगतान उक्त फर्म को किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(10) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त अनियमित व अधिक भुगतान की वसूली करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16. मजदूरी के रूप में संदिग्ध व अनियमित भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि व 15TH FC के मस्ट्रोल की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मनरेगा निधि में उपस्थित आवेदकों व 15TH FC के मस्ट्रोल में उपस्थित आवेदकों की उपस्थिति एक समान (Same day) दिन में पाई गई थी जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित आवेदकों ने दोहरी हाजरी के अंतर्गत लाभ अर्जित किया था जो कि ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली के प्रति संदेह व लापरवाही को दर्शाता है | समान दिन में पाई गई आवेदकों की उपस्थित का विवरण निम्नानुसार है:-

वाउचर संख्या दिनांक	निधि	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	आवेदक का नाम	दिनांक जिसमें उपस्थित सामान दिन में दर्ज की गई थी	मजदूरी दर/ अनुचित भुगतान (₹)	निधि	मस्ट्रोल संख्या /अवधि	निर्माण कार्य का नाम	आवेदक का नाम	दिनांक जिसमें उपस्थित सामान दिन में दर्ज की गई है	मजदूरी दर/ अनुचित भुगतान (₹)
P/12 दिनांक 20.052023	15th FC	11317/ 01.03.2023 से 25.03.2023	C/O path Mata parsad house to vill. Bhatali	कर्म चंद सपुत्र श्री जगत राम	05.03.23, 06.05.23, 07.03.23, 11.03.23	04 x 396 = **1584**	मनरेगा	6878/01.03. 2023 से 15.03.2023	निर्माण नाली जैसी राम की जमीन वार्ड न० 5	कर्म चंद सपुत्र श्री जगत राम	05.03.23,06.05.23,07.03.23, 11.0323	04 x 212 = **848**
				शुभाष चंद सपुत्र श्री लक्ष्मण दास	05.03.23,	01 x 396 = **396**	मनरेगा	6878/01.03. 2023 से 15.03.2023	निर्माण नाली जैसी राम की जमीन वार्ड न० 5	कर्म चंद सपुत्र श्री जगत राम	05.03.23,	01 x 212 = **212**
P/09 दिनांक 10.052 023	15th FC	11281/01.04.2022 से30.04.2022	Completi on of OBC Bhawan at ward no. 03	कर्म चंद सपुत्र श्री जगत राम	19.04.22, 21.04.22, 24.04.22, 25.04.22	04 x 396 = **1584**	मनरेगा	310/06.04.2022 से 30.04.2022	C/O Sadak chaman lal house to desh raj house ward no. 5	कर्म चंद सपुत्र श्री जगत राम	19.04.22, 21.04.22, 24.04.22, 25.04.22	04 x 212 = **848**
कुल योग						**3564**	कुल योग					**1908**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(9) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उपरोक्त दोहरे अनियमित/अधिक भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अंकेक्षणावधि में ऐसे अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु उपयोग की गई सामग्री की अपेक्षा क्रय मात्रा के समुचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.06 लाख का कृत अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

विभिन्न निर्माण कार्यों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, शटरिंग) का निष्पादन निर्धारित मापदंड़ो के अनुसार कम किया गया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, शटरिंग) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में समुचित लेखांकन नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमसंख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या / पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर (₹)	राशि (₹)
1	C/O of Water Tank Drain	28791 पृष्ट संख्या 33-34	रेत	250 CFT	227 CFT	23 CFT	60	1380

	chand Shamshan Ghat							
कुल योग (A)								**1380/-**
2	C/O Danga land Protection work near vinod kumr land	28791 पृष्ट संख्या 34-36	शटरिंग	409 Sqft	388 Sqft	21 Sqft	25	525
कुल योग (B)								**525/-**
3	C/O Toilet Patwar Ghar GP Darini	28791 पृष्ट संख्या 15-18	सीमेंट	34	21	13	343.74	4469
कुल योग (C)								**4469/-**
कुल योग (A+B+C)								**6374/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(7) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित अन्य व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र° स°	**वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)**
1.	2022-23	08/22	**741675.00**
2.	2023-24	05/23	**600736.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(2) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त नियम प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

19. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 08/22 व 05/23 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माह 08/22 व 05/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर नियमानुसार प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(3) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

20. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रॉस मोनिटरिंग के

अभाव में किसी भी स्तर पर धन, एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख-रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
2	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
5	सहायता अनुदान रजिस्टर , हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(11) दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP GORDA NO.11 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

21. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(12) दिनांक

19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP DARINI/01 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए गये आश्वाशन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

22. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

23. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

15 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/50

49/8-4922

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)430/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दरिणी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT DARINI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	527327.38	100885.32	628212.7	369786.38	258426.32

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **527327.38**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT DARINI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	258426.32	16685.00	275111.32	122909.74	152201.58

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **258426.32**

प्रधान ग्राम पंचायत दरीणी (विकास खण्ड रैत हि.प्र.)

हस्ताक्षर.............

दिनांक ....

Panchayat Secretary,
Gram Panchayat........
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

27

परिशिष्ट -1 पैरा 5 के सन्दर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP DARINI BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	5194.19	142.00	5336.19	0.00	5336.19
2	MGNREGA	0	1331040.00	1331040.00	1331040.00	0.00
3	SDP/VKVNY	134015.19	566358.00	700373.19	576769.35	123603.84
4	5TH FC	137251.73	276340.25	413591.98	238047.19	175544.79
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDRF	0	0.00	0.00	0	0.00
9	SK RELIEF	1646.19	70626.29	72272.48	55487.16	16785.32
10	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	JJM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	2769180	2370006.00	5139186.00	1801571.00	3337615.00
	TOTAL	3047287.30	4614512.54	7661799.84	4002914.70	3658885.14

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP DARINI BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	5336.19	109.00	5445.19	5445.19	0.00
2	MGNREGA	0.00	768115.00	768115.00	768115.00	0.00
3	SDP/VKVNY	123603.84	236369.00	359972.84	199342.00	160630.84
4	5TH FC	175544.79	260781	436325.79	286127.44	150198.35
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDRF	0.00	0	0.00	0	0.00
9	SK RELIEF	16785.32	30117.00	46902.32	44511.47	2390.85
10	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	42500.00	42500.00	38553.00	3947.00
14	JJM	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	3337615.00	1405000.00	4742615.00	2618979.00	2123636.00
	TOTAL	3658885.14	2792991.00	6451876.14	3961073.10	2490803.04

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 3658885.14

प्रधान ग्राम पंचायत दरीणी विकास खण्ड रैत (हि.प्र.)

हस्ताक्षर Sheromuty

दिनांक ....

Panchayat Secretary, Gram Panchayat Darini Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

BANK DETAIL OF GP DARINI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	PNB DARINI	98000102118536	351381.38
2	General	KCCB RAIT	20040016504	171435
3	SK RELIEF/MPLAD	PNB DARINI	98000102126128	1646.19
4	14TH FC	PNB DARINI	98000102126173	5194.19
5	SDP/VKVNY	PNB DARINI	98000102119377	134015.19
6	15TH FC	PNB DARINI	98000102152433	2769180
7	5TH FC	PNB DARINI	98000102126164	137251.73
	CASH IN HAND			4511
	TOTAL			3574614.68

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	PNB DARINI	98000102118536	63254.32
2	General	KCCB RAIT	20040016504	156518.00
3	SK RELIEF/MPLAD	PNB DARINI	98000102126128	16785.32
4	14TH FC	PNB DARINI	98000102126173	5336.19
5	SDP/VKVNY	PNB DARINI	98000102119377	123603.84
6	15TH FC	PNB DARINI	98000102152433	3337615.00
7	5TH FC	PNB DARINI	98000102126164	175544.79
	CASH IN HAND			4511.00
	TOTAL			3883168.46

BANK DETAIL OF GP DARINI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	PNB DARINI	98000102118536	52550.58
2	General	KCCB RAIT	20040016504	146687.00
3	SK RELIEF/MPLAD	PNB DARINI	98000102126128	2390.85
4	14TH FC	PNB DARINI	98000102126173	0.00
5	SDP/VKVNY	PNB DARINI	98000102119377	160630.84
6	15TH FC	PNB DARINI	98000102152433	2123636.00
7	5TH FC	PNB DARINI	98000102126164	150198.35
	CASH IN HAND			6911.00
	TOTAL			2643004.62

प्रधान ग्राम पंचायत दरीणी
विकास खण्ड रैत हि.प्र.

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

Panchayat Secretary,
Gram Panchayat Darini
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

परिशिष्ट - ख पैरा 6 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT DARINI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	555	50	2550	27750	30300	13600	16700

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT GORDA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	569	50	16700	28450	45150	7500	37650

प्रधान ग्राम पंचायत दरीनी (विकास खण्ड रैत हि.प्र.)

हस्ताक्षर Shama Mehta

दिनांक ....

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Darini
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

30